



## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./ESTB/ 27601 /2026-ESTT SEC/1162  
//आदेश//

भिलाई, दिनांक 12/10/2026

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 763 भिलाई, दिनांक 23.07.2026 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने के कारण श्री विकास सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया गया तथा दिनांक 02.09.2026 को उनके विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। इस कार्यालय द्वारा जारी आरोप पत्र दिनांक 02.09.2026 का जवाब श्री विकास सिंह द्वारा दिनांक 07.09.2026 को प्रस्तुत किया गया है। श्री विकास सिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रथमदृष्ट्या संतोषप्रद नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है। विभागीय जांच प्रक्रिया पूर्ण होने में समय लगने की संभावना है।

अतः समुचित विचार उपरांत श्री विकास सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक को निलंबन से बहाल करते हुये मुख्य कार्यालय राजस्व विभाग में पदस्थ किया जाता है। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच पूर्ण होने उपरांत नियमानुसार किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Digitally signed by  
SURUCHI SINGH  
Date: 12-10-2026  
13:32:35

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

पृ.क्र./ESTB/ 27601 /2026-ACC SEC/1163  
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 12/10/2026

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 4 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी/राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
11. श्री विकास सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई